भारत सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु जनपद–शाहजहाँपुर में गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक 01.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन नमामि गंगे जलपूर्ति अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 95/छियत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0ए0–अ0 लखनऊ दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पेयजल एंव स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्गत दिशा निर्देशो के अनुरूप जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यकमों के प्रभावी कियान्वन तथा मूल्याकंन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन समिति की बैठक दिनांक 01.03.2023 को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार, शाहजहाँपुर में आयोजित की गयी है। बैठक में मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा प्रेषित 47 नग डी0पी0आर0, (60 ग्राम पंचायत, 104 राजस्व ग्राम) को विचारोपरान्त SWSM को प्रेषित किया जाना है। DWSM की बैठक मे निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया जाना प्रस्तावित है।

1	जिलाधिकारी शाहजहाँपुर	अध्यक्ष
2	मुख्या विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
3	जिला विकास अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
4	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके नामित सदस्य	सदस्य
5	जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
6	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
7	अधिशासी अभियंता वाटर रिर्सोसेस/सिंचाई शाहजहाँपुर	सदस्य
8	अधिशासी अभियंता, ग्रांउड वाटर शाहजहाँपुर	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
10	जिला सूचना एंव जनसंपर्क अधिकारी शाहजहाँपुर	सदस्य
11	अधिशासी अभियंता वि0/या0 उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद शाहजहाँपुर।	सदस्य
12	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर	सदस्य सचिव

1. जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन के अर्न्तगत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल अपूर्ति हेतु फर्म मै एन0सी0सी0 लि0, हैदाराबाद को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" द्वारा फर्म को 1032 ग्राम पंचायतो (2033 राजस्व ग्राम) की सूची उपलब्ध करायी गयी। जिसमें से फर्म को 1941 राजस्व ग्राम की डी0पी0आर0 मानकानुसार विरचित करना है। ग्रामीण क्षेत्रो मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय समय पर निर्गत किए गये निर्देशो के अनुपालन मे प्राक्कलन विरचित किये गए है, जिसकी जल निगम एवं मै0 मेधज टैक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 (डी0पी0एम0यू0), शाहजहाँपुर द्वारा तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जांच की गयी। फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 मे ली गयी कार्यो की दरें SWSM Schedule रेट के आधार पर ली गयी है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा मानकीकृत प्रति व्यक्ति 55 एल0पी0सी0डी0 की दर से अभिकल्पित वर्ष 2052 के लिए विरचित किया गया है।
2. वर्तमान तक "जिला पेयजल मिशन" समिति द्वारा 1768 नग डी0पी0आर0 (731 ग्राम पंचायत) अधिशासी निदेशक नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है तथा 1758 नग (729 ग्राम पंचायत) की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसी कम में आज बैठक में पुनः 47 नग डी0पी0आर0, (60 ग्राम पंचायत, 104 राजस्व ग्राम) "जिला पेयजल एंव स्वच्छता समिति" के समक्ष संस्तुति हेतु प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त 47 नग डी0पी0आर0, (60 ग्राम पंचायत, 104 राजस्व ग्राम) का तकनीकी परिक्षण किया गया एंव यह भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मुख्य अभियंता ग्रामीण उ0प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश को संज्ञानित कराते हुये प्राकलनों का तकनीकी परीक्षण खंड कार्यालय., उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण शाहजहाँपुर द्वारा किया गया है, जो कि निम्नवत् है:–

1. योजनाओ की प्रति व्यक्ति कार्य लागत जनपद के लिए औसतन 6000 रू से कम रखी गयी है, जिसकी पुष्टि तालिका के अंत मे अंकित औसत से स्पष्ट है।
2. स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिस योजना विशेष की प्रति व्यक्ति लागत रू 7000 से अधिक है, उन योजनाओ का स्थालीय परिक्षण करा लिया गया है एंव समस्त प्रस्ताव का मूल्याकंन स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप है।
3. पम्पिंग प्लांट की डिजाइन मे हैड अधिकतम 50 मी0 के आधार पर ही प्रस्तावित किया है। इसका परिक्षण अधिशासी अभियंता विद्युत यांत्रिक द्वारा कर लिया गया है।
4. सोलर पी0वी0 माडयूल की क्षमता किलोवाट, पम्प की क्षमता हार्स पावर से अधिकतम 1.4 गुना के आधार पर ही प्रस्तावित की गयी है।
5. जिन योजनाओ मे रोड कटिंग की पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत से 25 प्रतिशत से अधिक है, उस स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण किया गया है एंव प्रस्तावित कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गयी है।
6. योजना की डिजाइन जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की गयी है एंव आधार वर्ष से अभिकल्पित जनसंख्या अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि के अंतर्गत ही प्रस्तावित की गयी है।
7. प्रति घर व्यक्तियों की संख्या 4 से 8 के बीच रखी गयी है।
8. वितरण प्रणाली मे सैंड बेडिंग का प्रविधान नही किया गया है।
9. जलकल परिसर मे सामान्यतः मिटटी भराई प्रस्तावित नही है। जिस ग्राम पंचायत मे जलकल परिसर के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नही है एंव मिटटी भराव अपरिहार्य है, कि स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की गयी है एंव इसी आधार पर संस्तुति करते हुये डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गई है।
10. स्पेयर पम्पस का प्रावधान नही किया गया है।
11. योजनओ की जो विशिष्टियां राज्य योजना स्वीकृति रखी गई है, उनमे किसी भी प्रकार का तकनीकी या वित्तीय विचलन नही हो रहा है।
12. सभी कार्य सक्षम अभियंताओ की देखरेख में ही सम्पन्न कराये जाए और टी0पी0आई0 द्वारा लगातार गुणवत्त सुनिश्चित कराये जाने का अनुपालन किया जायेगा।
13. सेन्टेज चार्ज का वहन केन्द्रांश से नही किया जायेगा, प्रदेश सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुरूप इसमें निर्माण लिया जायेगा।
14. साथ ही अवगत कराना है कि योजनाओ मे प्रस्ताव का परीक्षण मौंके पर स्थलीय परीक्षण के अनुरूप लिया गया है एंव इन कार्यो के सम्पादन के उपरान्त योजना अपने उददेश्य में जनोपयोगी हो सकेगी।

<u>उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये :–</u>

- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निशुल्क भूमि के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अभी भी 04 नग परियोजनाओं की भूमि प्राप्त होना शेष है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि अपर जिलाधिकारी (ई) को पूर्ण स्थिति से अवगत कराते हुए 04 प्रस्तावों पर जो विवाद है, को निस्तारित कराते हुए भूमि के प्रस्ताव प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- कुल 40 नग राजस्व ग्राम की Non-compliant डी0पी0आर0 की स्वीकृत कराये जाने की कार्यवाही किन्ही कारणों से पूर्ण नहीं की गयी है, उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 02.03.2023 अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं परियोजना निदेशक, मै0एन0सी0सी0 संयुक्त रूप से बैठक कर उपरोक्त पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

- कुल स्वीकृत 1768 राजस्व ग्राम के सापेक्ष वर्तमान तक 1558 त्रिपक्षीय कवर अनुबन्ध पूर्ण किये गये हैं। इस सम्बन्ध मे अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 312 त्रिपक्षीय कवर अनुबन्ध पर विकास खण्ड स्तर पर हस्ताक्षर सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अनुबन्धित संस्था मै0एन0सी0सी0 के प्रतिनिधि जिला पंचायत राज अधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर शत् प्रतिशत त्रिपक्षीय कवर अनुबन्ध पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद के कुल 1758 डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जा चुके है किन्तु उक्त के सापेक्ष केवल 1229 कवर अनुबन्ध गठित कराये जाने की कार्यवाही मै0एन0सी0सी0 द्वारा सुनिश्चित की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0एन0सी0सी0 को कड़े निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर समस्त कवर अनुबन्ध गठन कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- अनुबन्धित आई0एस0ए0 के कार्यों की समीक्षा किये जाने पर मै0भावना सेवा संस्थान एवं मै0भूषन सेवा संस्थान द्वारा उन्हें आवंटित कलस्टर के सापेक्ष द्वितीय फेज के कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित आई0एस0ए0 को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाये। अन्यथा कि स्थिति में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्णय लेते हुए आवंटित कलस्टर निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- अनुबन्धित आई0एस0ए0 मै0पी0एस0सेवा समिति, लखनऊ द्वारा अभी तक आवंटित कलस्टर के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गयी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित को कारण बताओ नोटित निर्गत करते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- अनुबन्धित आई0एस0ए0 मै0 राजस्थान को आवंटित किये गये दस कलस्टर के सापेक्ष सहमति पत्र प्राप्त किये जाने की प्रगति धीमी होने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित आई0एस0ए0 को भी प्रगति बढ़ाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।
- मै0एन0सी0सी0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा किये जाने पर निम्न स्थिति पटल पर रखी गयी–

कार्य का विवरण	वर्तमान का लक्ष्य	कार्य की प्रगति	प्राप्ति	अवशेष
कवर अनुबन्ध	750	675	547	203
नलकूप	547	408	347	200
अवर जलाशय	547	281	5	542
वितरण प्रणाली	547	408	106	441
हाइड्रो टेस्टिंग	408	261	166	242
गृह संयोजन	408	257	161	247

उपरोक्त प्रगति पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि समस्त कार्यों के सम्बन्ध में मै0एन0सी0सी0 को निर्देशित किया जाये तथा नोटिस निर्गत किया जाये।

उक्त कम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे पेयजल अपूर्ति हेतु 47 नग डी0पी0आर0, (60 ग्राम पंचायत, 104 राजस्व ग्राम) जल निगम द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरांत समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नमामि गंगें जलापूर्ति अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के आदेश संख्या–51/2021/1948/छियत्तर–1–2021–25 सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन मे कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राकलनों को नियमानुसार रू 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओ की स्वीकृति "जिला पेयजल एंव स्वच्छता मिशन" समिति द्वारा प्रदान की जानी है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त उक्त 47 नग डी0पी0आर0 (104 राजस्व ग्राम) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) की संस्तुति के आधार पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय,
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण),
शाहजहाँपुर।
(सदस्य सचिव)

Executive Engineer
Division Office
U.P. Jal Nigam (Gramin)
Shahjahanpur

for

अधिशासी अभियन्ता
(वि0 / यां0)
खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम,
मुरादाबाद।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला कृषि अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिर्सोसेस / सिंचाई
शाहजहाँपुर।
सदस्य

(ADIO)
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

बेसिक शिक्षा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

जिला विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, शाहजहाँपुर
सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा
उनके नामित सदस्य,
शाहजहाँपुर।
सदस्य

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर।
उपाध्यक्ष

जिलाधिकारी, (अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति
शाहजहाँपुर।